



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)



भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/88/21/ 2750
SPMCIL/VIG/88/21/

दिनांक 02.11.2022
Date 02.11.2022

परिपत्र संख्या 10/22/ Circular No. 10/22

विषय/Sub: परामर्श सेवाओं/कार्यों के अंतर्गत कार्यरत सीए/ लेखा सहायकों/आउटसोर्स कर्मचारियों की बायोमेट्रिक/फेस रिकोग्निशन आधारित उपस्थिति के संदर्भ में।/ Biometric/Face recognition based attendance management system of CAs/Account Assistants/outsourced employees working under consultancy services/works -reg.

एक शिकायत की जांच के दौरान, सतर्कता विभाग के संज्ञान में आया है कि एक इकाई में कंसल्टेंसी सेवाओं/कार्यों के तहत काम कर रहे सीए/ लेखा सहायकों /आउटसोर्स कर्मचारियों के इन-टाइम और आउट-टाइम विवरणों का उल्लेख किए बिना रजिस्टरों में मैनुअल उपस्थिति बनाए हुए है। सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है।

During investigation of a complaint, it has come to the notice of Vigilance Department that one of the Unit is maintaining manual attendance in registers without mentioning the In-time & Out-time details of CAs/Account Assistants/outsourced employees working under consultancy services/works. The Competent Authority has viewed the above lapses seriously.

2. इस संबंध में, सभी संबंधितों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस खंड का उल्लेख भविष्य निविदाओं में करना सुनिश्चित करें कि 'परामर्श सेवाओं/कार्यों के तहत काम कर रहे सीए/लेखा सहायकों/आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक/फेस रिकोग्निशन आधारित उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से की जाएगी। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

In this regard, all concerned are hereby advised to ensure to mention the clause that 'the attendance of CAs/Account Assistants/Outsourced employees working under Consultancy Services/Works will be made through Biometric/Face recognition based attendance management system', in the future tenders. If these guidelines continue to be flouted in future, it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite vigilance angle.

-पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /-Contd. at Page 2-

मुख. पी. सिद्धा
02/11/2022

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/88/21/२७५०
SPMCIL/VIG/88/21/

दिनांक 02.11.2022
Date 02.11.2022

-2-

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. This issues with the approval of CVO, SPMCIL.

मुख. पी. गंदम

(एस. पी. गंदम)/(S. P. Gandam)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

क) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कार्यालय//CMD office.

ख) निदेशक (मा.स.) के कार्यालय सचिव/ निदेशक (वित्त) कार्यालय/ निदेशक (तकनीकी) के कार्यपालक सचिव / मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय सचिव/ ES to Director (HR)/ Director (Finance) Office/ ES to Director (Technical)/ ES to CVO.

ग) मुख्य महाप्रबंधक (मा.स)/ महाप्रबंधक (वित्त)/ CGM (HR)/GM (Finance).

घ) सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.

ड) सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.